भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.363

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

कृषि आयात

363. डॉ. के. सुधाकर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दालों, मसालों, सब्जियों और फलों के कृषि आयात को समाप्त करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश को दालों, मसालों, सब्जियों और फलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों और किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत से मसालों, दालों, सब्जियों और फलों के प्रमुख निर्यात गंतव्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में खाद्य वनस्पति तेल के आयात को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों और किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सब्जियों और फलों की स्थानीय खरीद बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों और उपायों का ब्यौरा क्या है कि किसानों को बाजार में सभी सब्जियों और फलों के लिए एक पर्याप्त निश्चित राशि मिलना सुनिश्चित हो; और

(च) वैश्विक स्तर पर हमारे देश के हितों के विरुद्ध खड़े देशों से कृषि उपज के आयात के संबंध में क्या नीति है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): भारत अधिकांश कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भर है। तथापि, वनस्पति तेल, दलहन, ताजे फल और मसाले प्रमुख कृषि वस्तुएँ हैं जिनका आयात किया जाता है। देश भर में दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सभी 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)-दलहन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। एनएफएसएनएम-दलहन के अंतर्गत, राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों को विभिन्न प्रयासों के संबंध में सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, नई जारी की गई उच्च उपज देने वाली/तनाव सहिष्णु/जलवायु अनुकूल किस्मों/संकर किस्मों का वितरण और उत्पादन और किसानों का क्षमता निर्माण आदि। इसके अतिरिक्त, मिशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू)/कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) को विषय विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों की देखरेख में प्रौद्योगिकी बैकस्टॉपिंग और किसान को प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए सहायता भी प्रदान करता है।

समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2014-15 से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य फलों, सब्जियों, मसालों आदि को शामिल करते हुए बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास करना है। एमआईडीएच के तहत, रोपण सामग्री के उत्पादन, सब्जी बीज उत्पादन, उन्नत किस्मों के साथ क्षेत्र का कवरेज, पुराने बागों का रिजूवनैशन, संरक्षित खेती, जल संसाधनों का सृजन, समेकत कीट प्रबंधन (आईपीएम), समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम), आर्गेनिक इनपुट्स के सृजन सहित जैविक खेती को अपनाने जैसी गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। ये उपाय फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने और उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपनाए जाते हैं। उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए किसानों और तकनीशियनों का क्षमता निर्माण भी किया जाता है। इस योजना में फसलोपरान्त प्रबंधन (पीएचएम) और उपज की बेहतर कीमत प्राप्ति के लिए विपणन की व्यवस्था भी शामिल है।

इसके अलावा, भारत सरकार मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है जिनमें समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और अन्य शामिल हैं। इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अलावा, सुपारी एवं मसाला विकास निदेशालय (डीएएसडी) गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन, प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी प्रसार, और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से आयोजित किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मसाला विकास को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, मसाला बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से बजटीय सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र योजना, "निर्यात विकास के लिए प्रगतिशील, नवीन एवं सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से मसाला क्षेत्र में सततता" (एसपीआईसीईडी) कार्यान्वित कर रहा है।

(ग): भारत से मसालों, दलहन, सब्जियों और फलों के प्रमुख निर्यात गंतव्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वस्तुएँ	शीर्ष निर्यात गंतव्य
1	मसाले	चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, थाईलैंड
2	दलहन	बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, अमेरिका, श्रीलंका
3	ताज़ी सब्ज़ियाँ	बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका
4	ताज़े फल	इराक, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, बांग्लादेश, नेपाल

(घ): अगस्त, 2021 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य ऑयल पाम क्षेत्र विस्तार, क्रुड ऑयल पाम के उत्पादन में वृद्धि और खाद्य तेल पर आयात भार को कम करके देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाना है। यह मिशन वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों में 11,040 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को ऑयल पाम वृक्षारोपण के अंतर्गत लाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और देश में खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए 3 अक्टूबर, 2024 को राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस) को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन का उद्देश्य रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजर, अरंडी और अलसी जैसी प्रमुख प्राथमिक

तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाना है, साथ ही कपास, चावल की भूसी, मक्का तेल और वृक्ष जनित तेलों जैसे द्वितीयक स्रोतों से संग्रहण और निष्कर्षण दक्षता में वृद्धि करना है। इस मिशन का उद्देश्य प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 39 मिलियन टन (2022-23) से बढ़ाकर वर्ष 2030-31 तक 69.7 मिलियन टन करना है।

देश के तिलहन किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) दिनांक 14.09.2024 से 12.5% से बढ़ाकर 32.5% कर दिया है। इसके अतिरिक्त, कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सूरजमुखी तेल और कच्चे सोयाबीन तेल पर बीसीडी को दिनांक 30.05.2025 से संशोधित कर 10% कर दिया गया है। सरकार द्वारा किए गए इन समायोजनों से घरेलू तिलहन उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।

(ड.): बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) उन कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए लागू की जाती है जो शीघ्र खराब होने वाली होती हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती हैं। हस्तक्षेप का उद्देश्य इन वस्तुओं के उत्पादकों का अत्याधिक आवक अवधि के दौरान फसल की अधिकता की स्थिति में, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं, नुकसान में बिक्री से बचाना है। शर्त यह है कि पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाजार मूल्यों में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए। यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अनुरोध पर लागू की जाती है, जो इसके कार्यान्वयन पर होने वाली हानि, यदि कोई हो, का 50 प्रतिशत (पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) वहन करने के लिए तैयार है।

सरकार ने वर्ष 2024-25 सीज़न से बाज़ार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के कीमतों में अंतर के भुगतान (पीडीपी) का एक नया घटक शुरू किया है ताकि शीघ्र नष्ट होने वाली फसलों के किसानों को बाज़ार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किया जा सके। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास विकल्प है कि वे फसल की भौतिक खरीद करें या किसानों को एमआईपी और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करें।

इसके अलावा, वर्ष 2024-25 सीजन से, सरकार ने किसानों के हित में उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्यों तक परिवहन के लिए नेफेड, एनसीसीएफ और राज्य द्वारा नामित एजेंसियों को शीर्ष फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के भंडारण (3 महीने तक) और परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत एक और घटक जोड़ा है।

(च): कृषि आयातों के संबंध में भारत की व्यापार नीति उसकी विदेश नीति और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है। भू-राजनीतिक या आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न करने वाले देशों से होने वाले आयातों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाता है। सरकार को विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों और राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, घरेलू कृषि और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आयातों पर प्रतिबंध, सुरक्षा शुल्क या प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। भारत की संप्रभुता की रक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए ऐसे उपाय मामला-दर-मामला आधार पर किए जाते हैं। सरकार कृषि आत्मनिर्भरता बढ़ाने, किसान कल्याण सुनिश्चित करने, निर्यात क्षमता को मज़बूत करने और उचित नीतिगत उपायों के माध्यम से राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

****